कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 36 अ–82/2019–20/12842 बैतूल दिनांक 3/12/2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	बोरगांव उर्फ शेरगढ़,	27.931	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	डोमा व. दसरू मनोती पिता दसरू परसू श्याम व. मुंशी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	474/1	1.216	0.050
2	दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	474/2	1.620	1.040
3	कचरू व. बाजीलाल सा. देह भूमिस्वामी	474/3	0.809	0.709
		474/5	0.136	0.136
4	सोमा व. बाजीलाल जाति गोंड सा. देह	474/4	0.135	0.135
5	नत्थू व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/2	0.556	0.556
6	हीरालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/3	0.556	0.556
7	पन्नालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	564/4	0.405	0.200
		563	0.275	0.100
8	हिरू व. गरीब्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरीब्या शान्ता बेवा साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहबलाल आशा राजो सपना ज्योती पिता साहबलाल जाति गोंड सा. देह	559	2.679	1.579
		555	1.279	0.900
		554	0.672	0.470
9	ढीमर व. गरजन जाति गोंड सा. देह	557	2.100	1.800
10	गंगाप्रसाद व. फूस्या जाति पवार सा. देह	565	1.214	1.214
11	भगवतराव शंकरराव व. बाबूराव महादेव मारोती दौलत बसन्त व. नारायण शान्ता सिन्धू पिता नारायण पारबती बेवा नारायण पान्डुरंग विट्ठल व. कुसना सा. देह भूमिस्वामी	574/1	0.020	0.020

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रक
1	2	3	4	5
12	नन्दकिशोर व. राधेलाल जाति पवार सा.देह भूमिस्वामी	574/2	2.063	2.063
13	कौशल्या जौ. सुरत पवार सा. देह भूमिस्वामी	574/3	2.084	2.084
14	फागू व. काल्या पवार सा. देह भूमिस्वामी	549/1/1	1.700	0.870
15	रामू श्यामू व. परसू मैना बेवा परसू मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी	473/1	1.030	1.030
		478/1	0.809	0.809
16	सुमेलाल झनक व. पतिराम अमरलाल ना. बा. व. पतिराम वली भाई सुमेलाल व. पतिराम जाति गोंड सा. देह	473/3	1.153	0.403
17	मुन्ना व. रामू सा. देह भूमिस्वामी	473/2	1.080	0.733
18	अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ. पांडू सा. देह. भूमिस्वामी	477	2.582	0.210
		479	1.234	0.030
		472	2.306	1.106
19	राखड़्या व. भूरा सा. देह भूमिस्वामी	468/2	2.220	1.540
20	रैनी जौ. सकडू ममोना हसलो पिता रामजी सा. देह	609	7.916	3.210
21	बाजी दाजी दशर्या व. सूरजा जैदो मैदो सुरजा सा. देह	551	4.071	3.301
		566	0.555	0.555
		562	0.275	0.210
		561	0.166	0.166
		560	0.146	0.146
	योग		**45.062**	**27.931**

1— चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस.नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 36 अ–82/वर्ष 19–20/बोरगांव उर्फ शेरगढ/ 12842 बैतूल दिनांक 3-12 –2019

प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9– सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत **बोरगांव उर्फ शेरगढ**, तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित । ”

अपर कलेक्टर

एवं प्र0अ0 भू–अर्जन, बैतूल